

प्रेषक,

अनीता सिंह
प्रमुख सचिव,
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर , 2015

कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-1 मुमस/1511/चौंतीस-3/अधि0/2014 41 (25) 2014 दिनांक 27 अगस्त, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त संदर्भों पर मा0 मुख्य मंत्री जी की अपेक्षा अंकित कर संबंधित अनुभाग/ कोषक/ प्रकोष्ठ के माध्यम से पंजीकृत कर पृष्ठांकित अधिकारियों को कार्यवाही हेतु भेजे जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य मंत्री संदर्भों की फीडिंग एक अलग इकाई द्वारा की जाती है। फीडिंग इकाई द्वारा संदर्भों की फीडिंग/ स्कैनिंग एवं अपलोडिंग की कार्यवाही की जाती है। फीडिंग/ स्कैनिंग एवं अपलोडिंग के उपरान्त संदर्भ अनुभाग में प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित अनुभाग द्वारा संदर्भ को मूल रूप से डाक द्वारा अथवा विशेष वाहक द्वारा भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इनकी पावती का संरक्षण एवं संदर्भ अपेक्षित प्रेषित स्तर पर विलम्बतम एक सप्ताह में प्राप्त कराये जाने का दायित्व संबंधित अनुभाग का रहता है।

उक्त से स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री कार्यालय के समस्त संदर्भ फीडिंग/ स्कैनिंग एवं अपलोडिंग होते ही संदर्भ वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाते हैं। इस वेबसाइट का लागिन- आईडी पासवर्ड आपके पास पूर्व से उपलब्ध है। अतः उन्हें डाउनलोड कर तत्काल कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस

-
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

अधीक्षकों को संदर्भ पृथक से डाक के माध्यम से भेजे जाने की आवश्यकता प्रतीक नहीं होती है।

अतः उपरोक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए निम्नवत संशोधित व्यवस्था लागू की जाती है:-

नवीन व्यवस्था में जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/ पुलिस अधीक्षकों से संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भों की मूल प्रति समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/ पुलिस अधीक्षकों को नहीं भेजी जायेगी तथा उन्हें वेबसाइट से नियमित रूप से संदर्भ डाउनलोड करना होगा जिससे कि संदर्भ स्कैन एवं अपलोड होते ही डाउनलोड कर संदर्भों का निस्तारण त्वरित रूप से किया जा सके। अपवाद स्वरूप केवल ऐसे संदर्भ डाक के माध्यम से भेजे जा सकेंगे, जिसमें काफी अधिक संलग्नक हो। संदर्भों के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी। अतः आख्या श्रेणी के संदर्भों के निस्तारण हेतु आख्या हार्ड कॉपी में भेजना अनिवार्य होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट का अपने लागिन आईडी पासवर्ड से नियमित रूप से अवलोकन कर मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भों को डाउनलोड कर उनके निस्तारण की कार्यवाही तत्परता से करते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(अनीता सिंह)

प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1) सचिव/विशेष सचिव/विशेष कार्याधिकारी मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र०शासन।
- 2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3) मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अनुभाग।

अनीता सिंह

प्रमुख सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।